

अनुसूचि-९
(दफा १० संग सम्बन्धित)
नेपालको संविधानको धारा २२८ (२) बमोजिम
बहाल बिटौरी शुल्क

लिखु गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लाग्ने दैनिक हाटवजार/साप्ताहिक हाटवजारमा प्रति दिन देहायका दरले कर लाग्नेछ ।

| क्र.सं | विषय | विवरण | पारीत |
|--------|-------------------------------|--|-------|
| १ | माछा मासु विक्रि सम्बन्ध | खसि वोका काटी विक्रि गर्ने पसलमा प्रति गोटा | १० |
| | | सुंगुर वंगुर काटी विक्रि गर्ने पसलमा प्रति गोटा | १० |
| | | राँगा काटी विक्रि गर्ने | ५० |
| २ | कपडा तथा जुता सम्बन्ध व्यवसाय | रेडिमेट सामान र थान कपडा विक्रि गर्ने पसल | १० |
| | | जुता चप्पल विक्रि गर्ने पसल ठुलो | १० |
| | | जुता चप्पल सिलाई गर्ने मोची | ५ |
| ३ | तरकारी तथा फलफुल व्यवसाय | फलफुल नास्ता ठेलामा राखी विक्रि गर्ने | १० |
| | | सागसब्जी डोकामा त्याई वेच्ने | ५ |
| | | भारमा सब्जी त्याई वेच्ने | ५ |
| | | सिजन अनुसार साग सब्जी आलु त्याई वेच्ने ठुलो | १० |
| | | सिजन अनुसार साग सब्जी आलु त्याई वेच्ने सानो | ५ |
| | | फलफुल साग सब्जी वयल गाडा | १० |
| | | फलफुल साग सब्जी प्रति वोरा र अन्य सानो फलफुल पसल | ५ |
| ४ | खाद्यान्त सँग सम्बन्धित | चामल दाल अदुवा, लसुन खुर्सानी आदी विक्रि गर्ने पसल | १० |
| | | मकै पोली वेच्ने | ५ |
| | | किराना पसल | १० |
| | | माछा मासु तरकारी विक्रि गर्ने | १० |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----|
| ५ | परम्परागत शिप सँग सम्बन्धित | माटाका भाडा वेच्ने पसल ठुलो | १० |
| | | माटाका भाडा वेच्ने पसल सानो | ५ |
| | | कुचो कुनिया नाँलो वेच्ने | ५ |
| | | जडिवुटि विक्रि गर्ने | १० |

लिखु गाउँपालिका भित्र लाग्ने दैनिक हाटवजार, साप्ताहिक हाटवजारमा प्रति दिन देहायका दरले कर लाग्ने छ ।

| क्र.सं | विषय | विवरण | दर | कैफियत |
|--------|-------------------------------|---|-----|--|
| १ | पशुपक्षि विक्रि सँग सम्बन्धित | जिउदो खसी, बोका, राँगा, संगुर वेच्नेलाई प्रतिगोटा | २० | एउटा मात्र हाँस परेवा कुखुरा वेच्ने लाई कर नलाग्ने |
| | | हाँस परेवा वेच्नेलाई | १० | |
| २ | अन्य व्यवसाय सँग सम्बन्धित कर | चुरा धागो टिका शृगारका सँग सम्बन्धित | ५ | |
| | | मुरली वासुरी गुलेली थैली जुम्हा उडुस मार्ने औषधि वेच्ने | ५ | |
| | | खेल तमासा देखाउनेलाई | १० | |
| | | प्रचार प्रसार गरी व्यवसाय गर्ने | २० | |
| | | वाँस प्रति वयल गाडा | १० | |
| | | वाँस प्रति ट्रक | १०० | |
| | | खटीयामा सामान राखी वेच्ने | ५ | |
| | | फलामको औजार तथा सामान वेच्ने | १० | |
| | | भाडाकुडा पसल | २० | |
| | | फोटो फ्रेमिङ | १० | |
| | | मर्मत (कुकर लाईट,छाता आदी) | १० | |

माथि उल्लेख नभएको व्यवसायको हकमा गाउँपालिकाले निर्णय गरी रु १० देखि ५०० सम्म लिन सक्नेछ ।